[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

Government of India Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, 12.09.2018

S.O. _____(E).- In exercise of the powers conferred by subsection (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2017 (1 of 2018), the Central Government hereby appoints the **12**th **September, 2018** as the date on which the provisions of sections 66 to 70 (both inclusive) of the said Act shall come into force.

[File No. 1/5/2013-CL-V]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12.09. 2018

का.आ.(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2018 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12.09.2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 66 से धारा 70 (दोनों धाराओं सहित) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं.1/5/2013-सीएल-V-भाग - I]

के. वी. आर. मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार